

**ग्राम पंचायत करेरी, विकास खंड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण  
एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

**अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017**

**भाग-एक**

**1 प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत करेरी विकास खंड रैत जिला काँगड़ा के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-**

**प्रधान**

| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम  | अवधि                 |
|---------|-------------------|----------------------|
| 1       | श्रीमति सोमा देवी | 01-04-14 से 22-01-16 |
| 2       | श्री कर्म चन्द    | 23-01-16 से 31-03-17 |

**सचिव**

| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम | अवधि                     |
|---------|------------------|--------------------------|
| 1       | श्री गोविन्द राम | 01-04-2014 से 31-03-2017 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार**

ग्राम पंचायत करेरी जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

| क्रमांक | पैरा संख्या | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार                                                          | राशि<br>(लाखों में) |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1       | 5           | रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण<br>रोकड़ वही तथा बैंक खातों में अन्तर | 0.23                |
| 2       | 6           | वित्तीय नियमों की अवहेलना                                                             | -----               |
| 3       | 8           | अनुदान राशियों का अवरोधन                                                              | 28.68               |
| 4       | 9           | औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का<br>क्रय करना                            | 4.64                |

**भाग- दो**

**2 वर्तमान अंकेक्षण**

ग्राम पंचायत करेरी, विकास खंड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार

कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27-12-17 से 01.01.18 तक ग्राम पंचायत करेरी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिये क्रमशः 03/2015, 12/2015, 08/2016 व 01/2015, 12/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

### 3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत करेरी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 शिमला-09 को शीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या-07 दिनांक 01-01-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत करेरी से अनुरोध किया गया।

### 4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत करेरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

#### 4.1 स्व-स्त्रोत व अनुदान :-

ग्राम पंचायत करेरी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

#### 1 स्व-स्त्रोत

| वर्ष      | अथ शेष | प्राप्ति | योग    | व्यय   | अंतिम शेष |
|-----------|--------|----------|--------|--------|-----------|
| 2014-2015 | 87334  | 264485   | 351819 | 277292 | 74527     |
| 2015-2016 | 74527  | 112873   | 187400 | 31761  | 155639    |
| 2016-2017 | 155639 | 237691   | 393330 | 81677  | 311653    |

#### 2 अनुदान

| वर्ष      | अथ शेष  | प्राप्ति | योग      | व्यय    | अंतिम शेष |
|-----------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 2014-2015 | 701295  | 5612718  | 6314013  | 5231453 | 1082560   |
| 2015-2016 | 1082560 | 10534659 | 11617219 | 9846934 | 1770285   |

2016-2017      1770285      5382857      7153142      4284982      2868160

दिनांक 31.3.17 को अंतिम शेष (1 + 2) = ₹3179813

दिनांक 31.03.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण :-

| क्रम संख्या | अनुदान का नाम         | खाता संख्या      | बैंक का नाम    | राशि            |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1           | Sabha Nidhi           | 20040016457      | K.C.C.B.RAIT   | 340757          |
| 2           | I.A.Y.                | 50052407263      | K.C.C.B.RAIT   | 00              |
| 3           | N.R.H.M./T.S.C        | 50052407285      | K.C.C.B.RAIT   | 23564           |
| 5           | S.D.P./L.A.DA.        | 50055751019      | K.C.C.B.RAIT   | 169000          |
| 6           | 13& 14 F/C            | 50052407321      | K.C.C.B.RAIT   | 2155419         |
| 7           | G.R.D.Y/M.M.A.G.Y     | 50055750990      | K.C.C.B.RAIT   | 20190           |
| 8           | 3 <sup>rd</sup> State | 50052407321      | K.C.C.B.RAIT   | 28455           |
| 9           | M.P.Lad.              | 50055751008      | K.C.C.B.RAIT   | 72401           |
| 10          | MGNREGA               | 20100042426      | K.C.C.B.Charri | 00              |
| 11          | V.K.V.N.Y.            | 50052407310      | K.C.C.B.RAIT   | 252916          |
| 12          | I.W.M.P.              | 6709000100032466 | P.n.b.Rait     | 140204          |
|             | CASH IN HAND          |                  |                | 255             |
|             | <b>Total</b>          |                  |                | <b>₹3203161</b> |

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंक शेषों में अन्तर ₹3179813 - ₹3203161 = ₹23348

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ वहीं व बैंक पासबुक में दिनांक 31.03.2017 को ₹23348 का अन्तर था जिसका समाधान किया जाए।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तःशेष में ₹0.23 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत करेरी द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तःशेष में ₹23348 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :-

6.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना:-

(क) रोकड़ बही के अवलोकन से पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेशन अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3)के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान करना अपेक्षित था। इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत करेरी द्वारा अंकेशन अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी और न ही अंकेशन को प्रस्तुत की गई। अतः उक्त अवधि की बैंक समाधान विवरणी तैयार करके की गई कार्यवाही की अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**6.2** लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना अपेक्षित है तथा मासान्त वर्षांत में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत करेरी में रोकड़ बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्य प्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

### **6.3 वर्गीकृत सार (Classified abstract) को तैयार न करना:—**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग के लिए आय व दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत करेरी द्वारा इसे तैयार न किये जाने के कारण अंकेशन के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

**7 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेंक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेंक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

**8 अनुदान की ₹28.68 लाख का अवरोधन:-**

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-17 तक प्राप्त अनुदानों में से ₹2868160 उपयोग हेतु थी। यदि इन्हीं परिशिष्टों में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अवरोधित अनुदान राशियों की मात्रा प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। दिनांक 31-3-15 को यह ₹1082560 थी वहीं दिनांक 31-3-17 तक यह बढ़कर ₹2868160 हो गई। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

**9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.64 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेंक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹464534 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाओं द्वारा किया गया है परन्तु नियमानुसार निविदा सम्बन्धी अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की गई हैं जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ

प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज भी नहीं किया गया था। अतः स्टॉक/स्टोर का प्राप्ति व उपयोग लेखा तैयार कर आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

#### 10 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्ट्रों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

- 1 स्टॉक रजिस्टर
- 2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- 3 जल प्रभार रजिस्टर
- 4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
- 5 अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
- 6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
- 7 गृह कर वसूली रजिस्टर
- 8 डाक टिकट रजिस्टर
- 9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि।

#### 11 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थायी भण्डार का रजिस्ट्रों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

#### 12 विविध अनियमितताये:—

- (क) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार, आयकर, विक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की गई है जिसे वसूल किया जाना व सम्बन्धित विभागों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**13 लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

**14 निष्कर्ष:-** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-  
(ज्ञान चन्द शर्मा)  
उप निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009  
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)172/2018 खण्ड-1-4304-4307 दिनांक 14.06.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत करेरी विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
  - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
  - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
  - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/-  
(ज्ञान चन्द शर्मा)  
उप निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009  
फोन नं0 0177-2620881